



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022023-243769  
CG-DL-E-21022023-243769

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2023/फाल्गुन 2, 1944

No. 93]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023/PHALGUNA 2, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 115(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 29) की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (अध्यक्ष या सदस्य, पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य, को हटाने की रीति) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, -

(क) “अधिनियम” से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम सं. 29) अभिप्रेत है;

(ख) “अध्यक्ष” से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) “समिति” से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(घ) “सदस्य” से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग का पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

3. अध्यक्ष और सदस्य, पदेन सदस्य से भिन्न, को हटाए जाने की रीति – (1) केंद्रीय सरकार, अध्यक्ष या किसी सदस्य, किसी पदेन सदस्य से भिन्न को उसके पद से हटा सकेगी, यदि ऐसा व्यक्ति—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है या किसी समय किया गया है;

(ख) विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित कर दिया गया है ;

(ग) अपनी पदावधि के दौरान अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अतिरिक्त किसी संदत्त नियोजन में लगता है ;

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या कोई अन्य हित अर्जित किया है जिससे उसके कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है ; या

(ङ) केंद्रीय सरकार की राय में जिसने अपनी प्रास्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसके पद पर बने रहने से जनसाधारण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ;

(च) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्गुह्य है:

(2) केंद्रीय सरकार, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध किसी लिखित शिकायत की प्राप्ति पर ऐसी शिकायत की प्रारंभिक जांच करेगी।

(3) यदि केंद्रीय सरकार की ऐसी शिकायत की जांच करने के पश्चात् यह राय है कि यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध उपनियम (1) में निर्दिष्ट ऐसे आरोपों की सच्चाई की जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं तो शिकायत की जांच करने के लिए समिति को निर्दिष्ट करेगी।

(4) समिति, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा अधिकथित प्रक्रिया द्वारा आवद्ध नहीं होगी किंतु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्ग निर्देशित होगी और उसे अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी जिसके अंतर्गत तारीख नियत करना, जांच का स्थान और समय नियत करना भी है।

(5) समिति, यथासंभव शीघ्र जांच पूर्ण करेगी और केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट उसमें अपने निष्कर्षों का कथन करते हुए, ऐसे आक्षेपों सहित जो यह ठीक समझे, प्रस्तुत करेगी।

[फा.सं. क्यू-15014/07/2022-सीपीए]

नरेश पाल गंगवार, अतिरिक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2023

**G.S.R. 115(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 25 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Manner of removal of Chairperson or Member, other than an ex-officio Member) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021);

(b) “Chairperson” means the Chairperson of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas;

(c) “Committee” means the Committee constituted under sub-section (1) of the section 4 of the Act;

(d) “Member” means a member of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas other than ex-officio Member.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings as assigned to them in the Act.

**3. Manner of Removal of Chairperson or any Member, other than an ex-officio Member.-** (1) The Central Government may, on the recommendation of the Committee, remove from office the Chairperson or any member, other than ex-officio Member, who—

(a) is, or at any time has been, adjudged as insolvent; or

(b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(c) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member; or

(e) has, in the opinion of the Central Government, so abused his position as to render his continuance in office detrimental to the public interest; or

(f) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude.

(2) The Central Government shall, on receipt of a written complaint against the Chairperson or Member, as the case may be, make a preliminary scrutiny of such complaint.

(3) If the Central Government shall, after scrutiny of such complaint, is of the opinion that there are reasonable grounds for making a an inquiry into the truth of any such allegations referred to in sub-rule (1) against the Chairperson or Member, as the case may be, make a reference to the Committee to conduct the inquiry made in the complaint.

(4) The Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

(5) The Committee shall complete the inquiry as early as possible and submit its report to the Central Government stating therein its findings with such observations as it thinks fit.

[F. No. Q-15014/07/2022-CPA]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.